

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) आरंभिक पैरा के पहले परंतुक में "31 मार्च, 2015" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) सारणी में,--

(i) क्रम सं0 1 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "मात्रक आधानों में रखे गए संघनित दुग्ध से भिन्न संघनित दुग्ध" रखा जाएगा ;

(ii) क्रम सं0 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) क्रम सं0 42 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं0 43 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं0 45 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं0 50 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं0 51 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%+125 रु0 प्रति मीट्रिक टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%+125 रु0 प्रति मीट्रिक टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं0 52 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं0 53 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) क्रम सं0 70 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5.46 रु0 प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6.64 रु0 प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्रम सं0 71 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "4.26 रु0 प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6.62 रु0 प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं0 90 के सामने, स्तंभ (4) में "12%" अंकों और प्रतीक के स्थान पर "12.5%" अंक और प्रतीक रखे जाएंगे ;

(xiii) क्रम सं0 107 के सामने, स्तंभ (4) में, "12%" अंकों और प्रतीक के स्थान पर "12.5%" अंक और प्रतीक रखे जाएंगे ;

(xiv) क्रम सं0 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"145क	3818	स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत परिपथ (ए.प.) मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए वेफर्स	6%	2";
-------	------	---	----	-----

(xv) क्रम सं0 148क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"148ख	3923 21 00	औद्योगिक उपयोग से भिन्न उपयोग के लिए बोरे और बैग	15%	-
148ग	3923 21 00	ऊपर क्रम सं. 148ख में उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	12.5%	-
148घ	3923 29	सभी माल	12.5%	-";

(xvi) क्रम सं0 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“180क	6403 या 6405	चमड़े के जूतादि स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए चमड़े के जूतादि से चमड़े के उपरले वाले जूतादि अभिप्रेत हैं जहां 'चमड़ा' शीर्ष 4107 या 4112 से 4114 के मालों के संदर्भ में है ।	6%	”;
-------	-----------------	--	----	----

(xvii) क्रम सं0 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् ।

“201क	7201 10 00	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों के ढलवां घटकों के विनिर्माण के लिए एसजी श्रेणी का पिग लौह	शून्य	53
201ख	7202 29 00	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों के ढलवां घटकों के विनिर्माण के लिए लौह सिलिकॉन मैंगनीसियम	शून्य	53”;

(xviii) क्रम सं0 205क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) क्रम सं0 215क के सामने, स्तंभ (3) में, "चपटी तांबे की तार" शब्दों के स्थान पर, "गोलाकार तांबे की तार या चपटी तांबे की तार" शब्द रखे जाएंगे ;

(xx) क्रम सं0 215क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“215ख	8001 20 00	सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों और मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए प्रकाश वोल्टीय (प्र.वो.) फीतों के विनिर्माण में उपयोग के लिए टिन मिश्रातु	शून्य	51”;
-------	---------------	---	-------	------

(xxi) क्रम सं0 238 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

238क	8419 19	सौर जल तापित्र और प्रणाली	शून्य	52
238ख	8419 या अन्य कोई अध्याय	सौर जल तापित्र और प्रणाली के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे	शून्य	2”;

--	--	--	--	--

(xxii) क्रम सं0 244 में,-

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) क्रम सं0 254 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“254क	8471 30	टैबलेट कंप्यूटर	2%	16
254ख	84 या अन्य कोई अध्याय	(i) टैबलेट कंप्यूटर के उपयोग के लिए पुर्जे, घटक और सहायिकी (ii) उपर्युक्त (i) पर वर्णित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-पुर्जे	शून्य शून्य	2 2”;

(xxiv) क्रम सं0 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“263क	8517	मोबाइल हैंडसेट जिसके अंतर्गत सैल्यूलर फोन भी हैं	1%	16”;
-------	------	--	----	------

(xxv) क्रम सं0 273 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ, (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) क्रम सं0 278 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) क्रम सं0 279 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) क्रम सं0 281 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) क्रम सं0 285 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) क्रम सं0 286 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) क्रम सं0 287 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) क्रम सं0 288 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (1) की उपमद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (1) की उपमद (iv) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) स्तंभ (3) की मद (2) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) क्रम सं0 288 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“288क	8706 00 21 या 8706 00 39	ऐसे मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले कारखाने से किसी एंबुलेंस के लिए सम्यक् रूप से सभी फिटमेंट, फर्नीचर और आवश्यक उपसाधन लगे हुए किसी एंबुलेंस के रूप में निकासी किए गए शीर्ष 8702 और 8703 के अधीन आने वाले मोटर यानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए चेसिस ।	12.5%	2”;
-------	-----------------------------------	---	-------	-----

(xxxiv) क्रम सं0 289 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) क्रम सं0 318 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“318क	90 या अन्य कोई अध्याय	गतिप्रेरक (टैरिफ मद 9021 50 00) के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (i). बैटरी; (ii). टाइटेनियम;	शून्य	2”;
-------	-----------------------------	--	-------	-----

		(iii).पैलेडियम तार; (iv). यूटेक्टिक तार; (v).सिलिकॉन रेसिन या सिलिकॉन रबर; (vi). सोल्डर पेस्ट; (vii). रीड स्विच; (viii). डाइओड; (ix). ट्रांसिस्टर; (x). धारित्र; (xi). नियंत्रक; (xii). कुंडली (इस्पात); (xiii).नली (सिलिकॉन) ।		
--	--	---	--	--

(xxxvi) क्रम संख्यांक 321क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“321ख	कोई अध्याय	एलइडी प्रकाश और फिक्सचर या एलइडी लैंपों के लिए एलइडी (प्रकाश उत्सर्जक डाइओड) ड्राइवर या धा.क्रो.मु.प.बो. (धातु क्रोड मुद्रित परिपथ बोर्ड) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी निवेश	6%	2”;
-------	------------	---	----	-----

(ग) उपाबंध में,--

(i) "शर्त" शीर्ष के अधीन, शर्त सं० 41 में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यदि माल जब उसका भारत में आयात किया जाता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन विहित कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से इस प्रकार छूट प्राप्त होता है तब ऐसी शर्तें इस छूट के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी";

(ii) शर्त सं 42 में, खंड (ख) में "छत्तीस मास या उससे अधिक अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस मास की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

- (iii) शर्त सं 43 में, खंड (ख) में "छत्तीस मास या उससे अधिक अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "छियासठ मास की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।
- (iv) शर्त सं0 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः--

शर्त सं0	शर्तें
"52.	यदि इन मालों के विनिर्माण में उपयोग किए गए निवेश या निवेश सेवा या पूंजी मालों के संबंध में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 या नियम 13 के अधीन कोई प्रत्यय नहीं लिया गया है";
53	यदि माल की निकासी से पूर्व विनिर्माता, यथास्थिति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को भारत सरकार के नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उपसचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी से यह छूट प्रदान करने की सिफारिश करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है और उक्त अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।";

(घ) सूची 8 में, मद सं0 (5) का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 4/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जनवरी, 2013 द्वारा जो सा.का.नि. 65(अ), तारीख 30 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।